

मु.नं. 11/25

बाबूलाल साहू मुख्यावर्त

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

8/10  
25

वकील जयदीप उपस्थित। अर्थात् संख्या  
 एक के वकील उपस्थित। पत्रावली को  
 अवलोकन किया गया। अवलोकन से  
 जाहिर आया कि यह मुन्ताकिली जयदीप  
 पत्र श्री राजीव शर्मा उपखण्डाधिकारी  
 मरतपुर के विरुद्ध पेश किया गया था।  
 चूंकि श्री राजीव शर्मा का स्थानांतरण  
 पदस्थापन उपखण्डाधिकारी मरतपुर के पद  
 से अन्यत्र हो गया है। ऐसी स्थिति में  
 विचारार्थ यह प्रकरण स्वतः ही समाप्त  
 हो जाता है।

अतः प्रकरण समाप्त होने के  
 कारण इसी स्तर पर खारिज किया जा  
 है। पत्रावली फिलहाल शुमार है। यदि  
 कार्यवाही दोबारा देपार हो।

जिला कलेक्टर  
 मरतपुर